न्यायालय :— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मण्डला (मध्य प्रदेश)

—::: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक :::—

क्रमांक— 227 / सी.जे.एम / 2026, मण्डला, दिनांक—08.07.2026

मैं मोहम्मद जफर खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डला पदस्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य वर्ष 2026 के आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य वितरण / संपादन हेतु पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश एवं समस्त संशोधित आदेश को निरस्त करते हुए, मण्डला जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य निम्नलिखित आपराधिक कार्य विभाजन करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला के अनुमोदन के उपरांत दिनांक—**10.07.2026** से प्रभावी होगा।

क्र	नाम मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
1	2	3	4
1.	**मोहम्मद जफर खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला जिला—मण्डला (म.प्र)**	(अ) कोतवाली—मण्डला, थाना महाराजपुर, थाना खटिया, थाना यातायात मण्डला (म.प्र) (ब) सम्पूर्ण राजस्व जिला मण्डला,	1—कॉलम नंबर—3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2— थाना कोतवाली एवं आबकारी वृत मण्डला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 3— पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग (आबकारी वृत्त चाबी को छोड़कर) स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा, श्रम विभाग, कारखाना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि विभागों द्वारा प्रस्तुत व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य सभी प्रकरण। 4— अन्य समस्त अधिनियम जिनके उपबंधों के अनुसार ऐसे मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय हैं। 5— मण्डला जिले के सभी थाना क्षेत्रों से संबंधित खारिजी प्रकरण (ई.आर)। 6— नगर पालिका मण्डला के अंतर्गत उत्पन्न म.प्र. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत के व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य सभी दांडिक प्रकरण।

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

			7– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मण्डला द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 8–सिनेमेटोग्राफी अधिनियम एवं कॉपीराईट अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त प्रकरण। 9– धारा 113/194 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 09 टन से अधिक के समस्त प्रकरण। 10– मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य ऐसे समस्त प्रकरण, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है। 11– आरक्षी केन्द्र मण्डला, खटिया एवं घुघरी (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेंहगांव, जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर), के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रंण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधि एवं खान खनिज विधि से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
2.	**श्रीमती नेहा रहमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)**	चौकी अंजनिया, चौकी हिरदेनगर	1–कॉलम नंबर–3 के आरक्षी केन्द्र/चौकी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय, ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर एवं ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनके विचारण का अधिकार अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन आदेश द्वारा दिया गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2– कॉलम नं–3 के आरक्षी केन्द्र/चौकी के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 3– कॉलम नं–3 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र/चौकी एवं आबकारी वृत चाबी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 4– कॉलम नं–3 के थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

			नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5– आरक्षी केन्द्र महाराजपुर, थाना बम्हनी (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर), मोहगांव के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रंण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधि एवं खान खनिज विधि से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 6– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला के द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
3.	**डॉ. अल्तमश रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला–मण्डला (म.प्र)**	थाना बम्हनी (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर)	1–कॉलम नंबर–3 के आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर एवं ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनके विचारण का अधिकार अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन आदेश द्वारा दिया गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2–कॉलम नं–3 के आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 3– कॉलम नम्बर 3 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 4–कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला के द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

4.	**डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला– मण्डला, (म.प्र)**	महिला थाना, थाना कोतवाली	1–महिला थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय, ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर एवं ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनके विचारण का अधिकार अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन आदेश द्वारा दिया गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2–कॉलम नं. 3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 3– माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश कमांक–1020/गोप0/2020/दो–3–1/ 2020, दिनांक 14.10.2020 के परिपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला के विविध आदेश कमांक कं/सां.लि./दो–12–1/2014 दिनांक–06.11.2020 के आदेशानुसार महिला थाना, थाना कोतवाली के क्षेत्रांतर्गत के लिए महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों से संबंधित प्रकरण। 4– कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा 144 से 147 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां। 5– थाना कोतवाली मण्डला के क्षेत्राधिकार के परिवाद प्रकरण। 6– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण।
5.	**श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला–मण्डला,(म.प्र)**	थाना घुघरी (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर)	1– कॉलम नंबर–3 के आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय, ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर एवं ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनके विचारण का अधिकार अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन आदेश द्वारा दिया गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2– कॉलम नं–3 के आरक्षी केन्द्र एवं आरक्षी केन्द्र खटिया के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

			चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 3– कॉलम नम्बर 3 के अंतर्गत थाने एवं आबकारी वृत घुघरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 4– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5– थाना महाराजपुर, खटिया के क्षेत्राधिकार के परिवाद प्रकरण। 6– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला के द्वारा एव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
6.	**सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला– मण्डला, (म.प्र)**	थाना मोहगांव, थाना बम्हनी (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर), थाना खटिया	1– आरक्षी केन्द्र मोहगांव के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर एवं ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनके विचारण का अधिकार अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन आदेश द्वारा दिया गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2– आरक्षी केन्द्र मोहगांव के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 4–आरक्षी केन्द्र मोहगांव के थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 2– कॉलम नम्बर 3 के अंतर्गत थाने के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 3– माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक–1020/गोप0/2020/दो–3–1/ 2020, दिनांक 14.10.2020 के परिपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

			महोदय मण्डला के विविध आदेश क्रमांक क्रं/सां.लि./दो–12–1/2014 दिनांक 06.11.2020 के आदेशानुसार थाना बम्हनी (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर), थाना खटिया, थाना–मोहगांव के क्षेत्रांतर्गत के लिए महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों से संबंधित प्रकरण। 4– कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, थाना बम्हनी(पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर),थाना–खटिया,थाना–मोहगांव क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा–144 से 147 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां। 5–आरक्षी केन्द्र महाराजपुर एवं मोहगॉव के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 6– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण।
7.	**सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला– मण्डला,(म.प्र)**	थाना महाराजपुर थाना घुघरी (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर)	1– कॉलम नम्बर 3 के अंतर्गत थाने के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 2– माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक–1020/गोप0/2020/दो–3–1/ 2020, दिनांक 14.10.2020 के परिपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला के विविध आदेश क्रमांक क्रं/सां.लि./दो–12–1/2014 दिनांक–06.11.2020 के आदेशानुसार थाना घुघरी (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) के क्षेत्रांतर्गत के लिए महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों से संबंधित प्रकरण। 3– कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, थाना घुघरी (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा 144 से 147 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

			भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां। 4– आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 5– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण।
8.	**श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर, जिला– मण्डला (म.प्र)**	आरक्षी केन्द्र नैनपुर, जी.आर.पी. थाना नैनपुर, थाना खटिया की पुलिस चौकी टाटरी के 27 गावं, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं) थाना बम्हनी की पुलिस चौकी पांडिवारा (तुरूर) के (के 16 गांव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं)	1– कॉलम नं.–3 के थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले समस्त मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2– कॉलम नं–3 के अंतर्गत थाने एवं आबकारी वृत नैनपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 3–कॉलम नम्बर 3 के आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका/नगर पंचायत के क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 4– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 5–कुटुम्ब न्यायालय मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा 144 से 147 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 6–माननीय् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला के द्वारा समय–समय अंतरित किये गये प्रकरण। 7–कॉलम नं.–3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रंण) अधिनियम 1981, पर्यावरण

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

			संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधि एवं खान खनिज विधि से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
9.	**श्रीमती मीनल गजबीर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भुआ–बिछिया, जिला मण्डला, (म.प्र)**	1. थाना–बिछिया, 2. थाना मवई, 3. थाना मोतीनाला (थाना घुघरी के 03 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव, जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, से उद्भूत प्रकरण)	1– कॉलम नंबर–3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2– कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा 144 से 147 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां। 3– मुख्यालय मण्डला क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 4– कॉलम नं–3 के अंतर्गत थाने एवं आबकारी वृत बिछिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 5– कॉलम नम्बर 3 के आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) के क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 6– कॉलम नम्बर 3 के थाना (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। कॉलम नं.–3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रंण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधि एवं खान खनिज विधि से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7–माननीय् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण।

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

10.	**पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला, (म.प्र)**	थाना निवास, थाना बीजाडांडी	1– कॉलम नं.–3 के थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2– कुटुम्ब न्यायालय मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 144 से 147 भा.ना.सु.सं. 2023 के भरण पोषण आवेदनों व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 3– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 4–कॉलम नंबर–3 के थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले नगरपालिका/नगर पंचायत के क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अन्तर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5– कॉलम नं– 3 के अंतर्गत थाने के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 6–थाना निवास, थाना बीजाडांडी, थाना टिकरिया के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रंण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधि एवं खान खनिज विधि से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 7–माननीय् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
11.	**सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक**	थाना–टिकरिया	1– कॉलम नं.–3 के थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं

(मो. जफ़र खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला (म.प्र)		समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 2– कुटुम्ब न्यायालय मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा–144 से 147 भा.ना.सु.सं. 2023 के भरण पोषण आवेदनों व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 3– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 4–कॉलम नंबर–3 के थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले नगरपालिका/नगर पंचायत के क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अन्तर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5– कॉलम नं– 3 के अंतर्गत थाने के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 6–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।

(मोहम्मद जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–मंडला (म.प्र.)

अनुसूची–अ

अवकाश एवं अनुपलब्ध रहने की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का कार्यभार निम्नानुसार रहेगा :–

क्रं	मजिस्ट्रेट	प्रथम प्रभारी मजिस्ट्रेट	द्वितीय प्रभारी मजिस्ट्रेट	तृतीय प्रभारी मजिस्ट्रेट	चतुर्थ प्रभारी मजिस्ट्रेट
1	2	3	4	5	6
1.	मोहम्मद जफर खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला (म.प्र)	डॉ. अल्तमश रहमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)
2	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला(म.प्र)	डॉ. अल्तमश रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला(म.प्र)
3	डॉ. अल्तमश रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	मोहम्मद जफर खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला (म.प्र)	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)
4	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, (म.प्र)	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	डॉ. अल्तमश रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)
6	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)
7	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	डॉ. अल्तमश रहमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)
8	सुश्री वत्सला	सुश्री शिवानी अग्रवाल,	श्री मोहम्मद सैफी,	डॉ. अल्तमश रहमान	श्रीमती नेहा

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

	प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)
9	श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला(म.प्र)	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला(म.प्र)
10	श्रीमती मीनल गजबीर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिछिया, जिला मण्डला(म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)
11	श्रीमती पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला (म.प्र)	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास जिला मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)
12	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास जिला मण्डला (म.प्र)	श्रीमती पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)

(मो. जाफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

अनुसूची–ब

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183/164 दंप्रसं के अधीन संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध किये जाने वाले मजिस्ट्रेटों से संबंधित अनुसूची

कमांक	नाम मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र के नाम
1.	**श्रीमती नेहा रहमान** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला मण्डला (म.प्र)	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, एवं खटिया के महिलाओं से संबंधित एवं महिलाओं के विरूद्ध के मामलों में।
2.	**डॉ. अल्तमश रहमान,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र)	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, आरक्षी केन्द्र मोहगांव, आरक्षी केन्द्र घुघरी (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेंहगांव, जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) (महिलाओं से संबंधित एवं महिलाओं के विरूद्ध के मामलों को छोड़कर) समस्त मामलों में कथन।
3.	**डॉ. स्वाति चौहान,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र)	आरक्षी केन्द्र बम्हनी (पुलिस चौकी तरूर के 16 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं को छोड़कर), आरक्षी केन्द्र मोहगांव के महिलाओ से संबंधित एवं महिलाओं के विरूद्ध के मामले में तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण थाना के समस्त मामलों में कथन।
4.	**श्री मोहम्मद सैफी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला मण्डला, (म.प्र).	आरक्षी केन्द्र महाराजपुर, थाना खटिया एवं आरक्षी केन्द्र बम्हनी (पुलिस चौकी तरूर के 16 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं को छोड़कर) (महिलाओं से संबंधित एवं महिलाओं के विरूद्ध के मामलों को छोड़कर) समस्त मामलों में कथन।
5.	**सुश्री शिवानी अग्रवाल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला मण्डला,(म.प्र)	आरक्षी केन्द्र घुघरी (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेंहगांव, जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) के महिलाओं से संबंधित एवं महिलाओं के विरूद्ध के मामले में कथन।
6.	**सुश्री वत्सला प्रजापति,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला मण्डला, (म.प्र)	आरक्षी केन्द्र महाराजपुर एवं महिला थाना के महिलाओं से संबंधित एवं महिलाओं के विरूद्ध के मामले में कथन।

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

7.	**श्री आदिल अहमद खान,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र)	आरक्षी केन्द्र नैनपुर, जी.आर.पी. थाना नैनपुर, आरक्षी केन्द्र खटिया की पुलिस चौकी टाटरी के 27 गावं, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं), थाना बम्हनी की पुलिस चौकी पांडिवारा (तुरूर) के (के 16 गांव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं), के समस्त मामलों में कथन
8.	**श्रीमती मीनल गजबीर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भुआ–बिछिया, जिला मण्डला, (म.प्र)	आरक्षी केन्द्र बिछिया, मवई, मोतीनाला (थाना घुघरी के 03 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव, जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, से उद्भूत प्रकरण) के समस्त मामलों में कथन
9.	**पद्मिनी सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला,(म.प्र)	आरक्षी केन्द्र टिकरिया के समस्त मामलों में कथन।
10.	**सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला (म.प्र)	आरक्षी केन्द्र निवास, बीजाडांडी के समस्त मामले में कथन।

नोटः– उपरोक्त अनुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में अथवा अधिकृत मजिस्ट्रेट पर संबंधित थाना होने से उक्त प्रकरण उनके स्वयं के द्वारा विचारण योग्य होने पर धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कथन लिये जाने हेतु **अनुसूची–अ** अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जावेगी एवं अनुसूची–अ के प्रभारी मजिस्ट्रेट पर संबंधित थाना होने की दशा में अन्य क्रमवर्ती मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कथन लिये जावेंगे। अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं उनके समस्त प्रभारी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में मुख्यालय में उपस्थित कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कथन लेख किये जायेंगे।

(मो. जाफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

अनुसूची–स

भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक–23.12.2022 अनुसार **स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52(क) की उपधारा 02 एवं उक्त अधिनियम** के अंतर्गत जप्तशुदा सामग्री के नमूने लिये जाने/प्रेषण किये जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरक्षी केन्द्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र.	थाना	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1	थाना नैनपुर, थाना जी.आर.पी. नैनपुर, (पुलिस चौकी टाटरी के 27–गॉव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं),	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	श्रीमती मीनल गजबीर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भुआ बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र)	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)
2	थाना बम्हनी, थाना मोहगांव, थाना महाराजपुर, पुलिस चौकी पांडिवारा (तुरूर) के 16–गॉव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) थाना घुघरी,	डॉ. स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला (म.प्र)	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला मण्डला (म.प्र)	श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र)	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला मण्डला, (म.प्र)
3	महिला थाना मण्डला, थाना खटिया	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला,

(मो. जाफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

		प्रथम श्रेणी, मण्डला, (म.प्र)	श्रेणी, मण्डला जिला मण्डला (म.प्र)	जिला–मण्डला (म.प्र)	जिला मण्डला (म.प्र)
4	थाना कोतवाली मण्डला,	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र)	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	डॉ. अल्तमश रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र)	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला मण्डला, म.प्र.
5	थाना बिछिया थाना मवई, थाना मोतीनाला	श्रीमती मीनल गजबीर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भुआ–बिछिया, जिला मण्डला,(म.प्र) **नोटः– स्वयं के न्यायालय के विचारण योग्य प्रकरणो को छोड़कर**	श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर, जिला–मण्डला(म.प्र)	सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)
6	थाना निवास, थाना बीजाडांडी, थाना टिकरिया	पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला(म.प्र) **नोटः– स्वयं के न्यायालय के विचारण योग्य प्रकरणो को छोड़कर**	श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला जिला–मण्डला (म.प्र)	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला, जिला– मण्डला, (म.प्र)

टीपः– इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा निर्देशित किये जाने पर किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेंगे।

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

::: सामान्य आदेश :::

1— इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2— इस कार्य विभाजन पत्रक का कोई प्रभाव पूर्व से किसी न्यायालय में लंबित प्रकरणों, अपंजीकृत परिवाद पत्रों पर नहीं होगा। परंतु जिन मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनके रिमाण्ड पेपर संबंधित मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय को तत्काल प्रेषित करेंगे।

3— प्रकरण उपार्पण करने के पूर्व मजिस्ट्रेटगण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण के अभियुक्तगण को सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय की जा चुकी हैं तथा केस डायरी और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157(1)/ भा.ना.सु.सं. की धारा 176 के अंतर्गत न्यायालय को प्रेषित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति और धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 468 भा.ना.सु.सुं. के अंतर्गत अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164/भा.ना.सु.सं. की धारा 183 के कथन संलग्न किये जा चुके हैं। उसी के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे, कि प्रकरण उपार्पित करते समय प्रकरण की सम्पत्ति भी विचारण में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके।

4— किसी भी न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यों में जो किसी मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपलब्ध रहने पर या न्यायालय रिक्त होने की दशा में प्रभारी न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा, उसमें :—

अ— सुपुर्दगी आवेदन (अंतर्गत धारा 497, धारा 503 भा.ना.सु.सं. का निराकरण)।

ब— जमानत आवेदन (अंतर्गत धारा 478, 479, 480 भा.ना.सु.सं. का निराकरण)।

स— संक्षिप्त विचारण के ऐसे प्रकरण शामिल होंगे, जिनमें आरोपी द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति की जा रही हो, ऐसे प्रकरण प्रभारी न्यायालय द्वारा (संक्षिप्त विचारण के लिये सशक्त) निराकृत किये जा सकेंगे।

द— अत्यावश्यक कार्यों में ऐसे अभियोग पत्रों को भी ग्रहण करना और प्राप्त करना सम्मिलित होगा, जिसमें 60 दिवस अथवा 90 दिवस की अपेक्षित विधिक परिसीमा का अवसान हो रहा है।

5— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला को सूचना देकर संपूर्ण जिला मण्डला के अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत चलित न्यायालय लगायेंगे एवं अन्य समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (संक्षिप्त विचारण हेतु सशक्त) अपने–अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत माननीय् सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला को पूर्व सूचना देकर चलित न्यायालय लगायेंगे।

6— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 187 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करने के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रेषित करेंगे।

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

7— आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटगण की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

8— अवकाश के दिन रिमाण्ड के सम्बंध में नियुक्त मजिस्ट्रेट, रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर 3.00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में अपने स्टॉफ के साथ उपस्थित रहकर निष्पादित करेंगे। रिमाण्ड ड्यूटी आदेश पृथक से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा जारी किया जायेगा।

9— जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का क्षेत्राधिकार रहेगा और रिमाण्ड डयूटी पर नियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में प्रथम रिमाण्ड दिया जा सकेगा।

10— यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर नियुक्त मजिस्ट्रेट किसी कारणवश आकस्मिक अवकाश या अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु प्राप्त कर ली गई है। इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला को अनिवार्यतः देंगे।

11— यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जित अवकाश अथवा लघुकृत अवकाश अथवा प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करते हैं तथा अपरिहार्य कारणवश कोई कार्य दिवस अवकाश के रुप में घोषित किया जाता है, तब होने वाले उक्त अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी, रिमाण्ड आदेशानुसार निष्पादित की जायेगी।

12— न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाने के आवेदन की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एक प्रति प्रभारी मजिस्ट्रेट को अनिवार्यतः भेजेंगे।

13— अवकाश/अनुपलब्ध रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कार्य विभाजन के अनुसार उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु अधिकृत/विर्निदिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त प्रकिया में विचारणीय प्रकरणों अभियोग पत्रों/परिवाद पत्रों के प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति की दशा में आवश्यकतानुसार निर्णय/निराकरण कर सकेंगे।

14— घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित अपराधों के चालान/परिवाद उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जायेंगे, जिसके आदेश के भंग से अपराध कायम हुआ है। उक्त मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसकी इस कार्य विभाजन आदेश अनुसार क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है,

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

जिससे वह मामला उद्भुत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है।

15— कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर धारा 125 (3) एवं 128 दं.प्र.सं./144 एवं 147 भा.ना.सु.सं. के निष्पादन से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण एवं भत्ते में परिवर्तन से संबंधित धारा 127 दं.प्र.सं./146 भा.ना.सु.सं. के प्रकरण उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जायेंगे, जिनके द्वारा आदेश पारित किया गया था। उक्त मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसकी इस कार्य विभाजन आदेश अनुसार क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उद्भुत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है।

16— यह आपराधिक कार्य विभाजन राजस्व जिला मण्डला की सीमा में उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही/प्रकरणों पर लागू होगा।

17— माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण, उक्त अधिसूचना के अनुसार ही प्रस्तुत होंगे और ऐसी अधिसूचना के अनुसार जिन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, वह यथावत रहेगा।

18— इस कार्य विभाजन के निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जा सकेगा।

19— जिन स्थानों पर ग्राम न्यायालय की स्थापना होकर न्यायाधिकारी की पदस्थापना है, तब उनकी अनन्य अधिकारिता व सुनवायी योग्य प्रकरण अन्य न्यायालयों द्वारा ग्रहण/संस्थित नहीं किये जायेंगे।ग्राम न्यायालय अधिनियम के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जायेंगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण संबंधित न्यायिक अधिकारी के द्वारा ही सुने जायेंगे। ग्राम न्यायालय रिक्त होने की दशा में उस न्यायालय का प्रभार उस मुख्यालय पर उपस्थित कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पास रहेगा। कनिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दशा में यह प्रभार अनुसूची "अ" अनुसार रहेगा।

20— प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्य संपादित किया जाएगा तथा किसी कारणवश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला को छोड़कर जिला स्थापना पर पदस्थ वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जाएगा।

21— किसी रिक्त न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक

(मो. जाफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसकी इस कार्य विभाजन आदेश अनुसार क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उद्भुत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है। यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात् न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है, तब माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामलों में भी संबंधित आरक्षी केन्द्र/थाना क्षेत्राधिकारिता के आधार पर कार्यवाही संपादित की जाएगी।

22— धारा 176(1ए)दंप्रसं/196(2) बी.एन.एस.एस के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला को अधिकृत किया जाता है:—

वर्ष 2026—2027

न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	01.07.2026	31.08.2026
श्रीमती डॉक्टर स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	01.09.2026	31.10.2026
श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	01.11.2026	31.12.2026
सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	01.01.2027	28.02.2027
सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	01.03.2027	30.04.2027

23— तहसील, नैनपुर, निवास, बिछिया के अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों पर अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही धारा 176 (1ए)/196 (2) बीएनएसएस के तहत मृतक बंदियों की जांच हेतु अधिकृत किया जाता है।

24— यदि मृतक बंदी की मृत्यु दिनांक/पंचनामा बनाये जाने की दिनांक को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा/मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मृत्यु जांच/पंचनामा की कार्यवाही उने प्रभार में कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

25— यदि उपरोक्त कार्य विभाजन में किसी आपराधिक प्रकरण के निराकरण के संबंध में उल्लेख न हो तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला के निराकरण योग्य माना जावेगा।

26— विशेष अधिनियम/विशेष न्यायालय से संबंधित मामलों का निराकरण विशेष न्यायालय द्वारा ही किये जावेंगे। अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष अधिनियम/विशेष न्यायालय से संबंधित मामलों का निराकरण नहीं करेंगे।

27— यदि पूर्व मे किसी न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया है और स्थाई वारंट के अनुपालन मे पुलिस वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करती है और स्थाई जारी करने वाला

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

न्यायालय कार्यरत नहीं है या समाप्त हो चुका है, तब ऐसे वारंटी को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके पास वर्तमान मे **उस आरक्षी केन्द्र का प्रभार है, जिसके द्वारा वारंटी को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है** और वहीं न्यायालय ऐसे वारंटी के विरूद्ध अभिलेख बुलाकर और अन्य सुसंगत कार्यवाही कर विधि अनुसार कार्यवाही अग्रेषित करेगा ।

08/07/26

(मोहम्मद जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंडला (म.प्र.)

अनुमोदित

11-07-2026

(कमल जोशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मण्डला (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक– 235 /2026 **मण्डला, दिनांक– 13.07.2026**

यह कार्य विभाजन पत्रक माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला के द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत से प्रभावशील है।

प्रतिलिपि :–

1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला मण्डला (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– जिला मजिस्ट्रेट, जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3– पुलिस अधीक्षक, मण्डला को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे मण्डला जिले के समस्त थाना प्रभारियों को उक्त कार्य विभाजन आदेश से अवगत करावेंगे।
4– वन संरक्षक/संचालक, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5– वन मण्डलाधिकारी, पूर्व/पश्चिम मण्डला (म.प्र.) को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे वन परिक्षेत्र अधिकारियों को अवगत करावेंगे।
6– जिला आबकारी अधिकारी, मण्डला को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे जिले के समस्त आबकारी वृत्तों मण्डला/बिछिया/नारायणगंज/नैनपुर/चाबी आदि के सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी को अवगत करावेंगे।
7– जिला चिकित्सा अधिकारी, मण्डला की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
8– श्री डॉ. अल्तमश रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।
9– श्री मोहम्मद सैफी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।
10– सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।
11– सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।

(मो. जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मण्डला

12– श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर, जिला मण्डला।
13– सुश्री स्वाति चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।
14– श्रीमती नेहा रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।
15– श्रीमती मीनल गजबीर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भुआ–बिछिया, जिला मण्डला।
16– सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला।
17– श्रीमती पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला।
18– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला मण्डला।
19– अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, जिला मण्डला।
20– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बिछिया, जिला मण्डला।
21– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ नैनपुर, जिला मण्डला।
22– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ निवास, जिला मण्डला।
23– प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मण्डला(म.प्र.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
24– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, मण्डला की ओर न्यायालय की वेब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मोहम्मद जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंडला (म.प्र.)